आर० ई० ओ० 10

जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड , जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम / अ० एवं प्र० नि० / अनु–पी०पी० एण्ड एम० / फा० आरईओ / प्रे० 2091
दिनांक :– 2/3/2002

आदेश

विषय कृषि कनेक्शन होने से पहले / कनेक्शन होने के बाद दूसरे ग्राम में स्थान परिवर्तन के प्रावधान में संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ग्राम / ग्रामों के क्षेत्रफल का वर्गीकरण कर मूल ग्राम / ग्रामों से विभाजित कर उसके मजरों / ढाणियों को नये राजस्व ग्राम / ग्रामों का सृजन किये जाने से क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित करने मे कुछ आशकाओं को मद्देनजर रखते हुये दि० 2 / 2 / 2002 की समन्वय समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि कृषि दिशा निर्देश तृतीय के पैरा 18 अ एवं 18 स में के अनुसार यदि कनेक्शन होने के पूर्व अथवा कनेक्शन होने के पश्चात् उपभोक्ता कनेक्शन को शिफ्ट् करवाना चाहता है तो मूल ग्राम से सृजित ग्रामों को एक ही ग्राम की इकाई मानते हुये स्थानान्तरित किया जा सकता है । इस आदेश के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कनेक्शन होने से पहले विद्यमान ग्राम के क्षेत्रफल को दी जा रही सुविधा से अलग राजस्व ग्राम में वर्गीकरकण होने से वंचित नही किया जा सकता है।

(ए० एम० लोढ़ा)
अधीक्षण अभियन्ता (पी० पी० एण्ड एम०)
जोधपुर डिस्कॉम , जोधपुर